

I/33365/2022

उत्तर मध्य रेलवे

कार्यालय  
प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त/रे.सु.ब.  
उ.म.रे./प्रयागराज

पत्रांक: रे.सु.ब./उ.म.रे./यात्री सुरक्षा/अच्छे कार्य 15-सी/प्रयागराज/2022  
दिनांक 03.02.2022


महानिरीक्षक/रे0सु0ब0/मुख्यालय  
रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली।

विषय—Sharing the information on police website about good work done by RPF  
personnel.



संदर्भ—रेलवे बोर्ड पत्रांक 2020/Sec(Int.)/51/6/3 dated 14/15.09.2020

\*\*\*\*\*



विषयांकित के सम्बन्ध में संदर्भित पत्र के आलोक में उत्तर मध्य रेलवे/रे0सु0ब0 प्रयागराज की  
चयनित अच्छे कार्य की रिपोर्ट निम्नवत् है।

क्र0सं0	मण्डल	विवरण	फोटो
1.	आगरा मण्डल	<p>दिनांक 06.01.2022 को CPDS टीम, D-Wing आगरा एवं RPF आगरा फोर्ट द्वारा 'हर्ष ट्रेवेल्स' नामक दुकान के संचालक को ई टिकटों की दलाली करने के जुर्म में गिरफ्तारी व जब्ती की गयी तथा राजू शर्मा नाम के अन्य अभियुक्त को वांछित किया गया।</p> <p>आरोपीगणों का नाम</p> <p>1.शुनील कुमार पुत्र दयाराम उम्र 38 वर्ष निवासी 26/423 बाल्का बस्ती, राजा मंडी, थाना लोहामंडी, जिला- आगरा (उ.प.) CR no. 15/2022 u/s 143 Rly Act</p> <p>जब्ती किये गए उपकरण—</p> <p>ViVo कंपनी का टच मोबाइल, की-पैड मोबाइल, HP कंपनी का प्रिंटर, Dell कंपनी का लैपटॉप 2,026/—रु0</p> <p>बरामद व्यक्तिगत यूजर आईडी- itzic17962 (agent id)</p> <p>(1) AStime, (2) NJTsharma, (3) Ankitiii, (4) ASpower, (5) Cutieeee (6) ANJTsharma, (7) SAthakur, (8) Bhuraa, (9) SCpandit, (10) PKmudgal, (11) PSmudgal, (12) ABrana, (13) yshbhardwaj, (14) acchaturvedi (15) Roohiiii, (16) gssmriti, (17) Bhuraa, (18) ggiraj, (19) Mkb8923, (20) nirmal0562</p> <p>04 भविष्य यात्रा की 6607/—रु0 तथा 39 भूतकाल यात्रा की 64848/—रु0 का विवरण दुकान से प्राप्त हुआ व irtc IDs 2021 का विवरण प्राप्त किया गया तो 814 टिकट जिनकी कीमत 10,98,720/—रु0 प्राप्त हुई।</p> <p>पकड़ने वाली टीम के सदस्य'</p> <p>1.देवेन्द्र सिंह सोलंकी (SI/CPDS), 2. राजाराम मीना (ASI/DW), 3.ओमवीर सिंह (Ct/CPDS), 4.अजय सिंह (Ct/CPDS), 5.शान साय मीना (Ct/DW), 6.अमरनाथ (HC/AF), 7.योगेन्द्र शर्मा (CT/AF)</p>	

I/33365/2022

2.	आगरा मण्डल	<p>दिनांक 19.01.22 को RPF CPDS Team के उपनिरीक्षक अनिल कुमार गौतम (रे.सु.ब. आउटपोस्ट बाद), उपनिरीक्षक जितेंद्र सिंह परिहार (रे.सु.ब. मथुरा), उपनिरीक्षक रामनरेश यादव (रे.सु.ब. मथुरा), कांस्टेबल ओम प्रकाश (रे.सु.ब./आउटपोस्ट बाद), कांस्टेबल जितेंद्र सिंह (रे.सु.ब. मथुरा) एवं उपनिरीक्षक/जीआरपी कुलबीर सिंह मय स्टाफ द्वारा अपराधिक रोकथाम व चेकिंग के दौरान मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 2/3 शौचालय के पास से 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। जिनके पास अभियुक्त क्रमशः संजय यादव के पास बैग में 07 किग्रा0 एवं अभियुक्त दिलखुश और हरदीप सिंह के पास 12.600 किग्रा0 कुल 19.600 किग्रा0 गांजा बरामद हुआ।</p> <p><b>गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:-</b></p> <p>(1) संजय यादव पुत्र श्री राजकुमार यादव उम्र 34 वर्ष निवासी:-ग्राम सराय छिवलाहा, थाना पट्टी जिला-प्रतापगढ़ जिला प्रतापगढ़ (उत्तरप्रदेश)</p> <p>(2) दिलखुश लालदेव पुत्र हकरूलाल देव उम्र 25 वर्ष निवासी बली गांव थाना बहरी जिला दरभंगा (बिहार) हाल पता कालू के मकान में किराए पर साबा डेयरी मुर्गा मार्केट कॉलोनी के पास थाना प्रहलादपुर (नई दिल्ली)</p> <p>(3) हरदीप सिंह पुत्र श्री बच्ची सिंह उम्र 55 वर्ष निवासी सुखदेव के मकान में किराए पर मोहल्ला सुल्तानपुरी मकान नं. बी/246 थाना सुलतानपुरी (दिल्ली)</p> <p><b>पंजीकृत अभियोगों का विवरण:-</b></p> <p>(1) मु0अ0संख्या:-15/22, धारा- 8/20 (एनडीपीएस एक्ट)</p> <p>(2) मु0अ0संख्या:-16/22, धारा- 8/20 (एनडीपीएस एक्ट)</p> <p>(3) मु0अ0संख्या:-17/22, धारा-8/20 (एनडीपीएस एक्ट)</p> <p>बरामद गांजे की अनुमानित कीमत 2,50,000/- रुपये।</p>	
3.	झांसी मण्डल	<p>दिनांक 19.01.2022 को निरीक्षक संजय कुमार आर्या को क्राईम ब्रान्च नन्दगांव छतीसगढ़ से ट्रेन नं. 18237 से 05 नाबालिग लडकियों को किडनैप करके ले जाने की सूचना मिलने पर उप निरी0 केदार सिंह मीणा, मेरी सहेली टीम की महिला बल सदस्यों सोनिका, भावना मोदी के साथ उक्त गाड़ी को अटैण्ड कर गाड़ी के स्लीपर कोचों को चेक किया गया तो गाड़ी के एस-2 कोच में बर्थ संख्या 26, 27, 28, 29, 30 पर उक्त 05 लडकियां डरी सहमी सी दिखाई दी, पूछताछ करने पर उन्होंने घर से भागकर आना बताया, तथा किडनैप कर ले जाने के सम्बन्ध में पूछताछ करने पर अपनी स्वेच्छा से घर से भागकर आना बताया और अन्य कोई साथ नहीं होना बताया। सभी को रे0सु0ब0, पोस्ट ग्वालियर पर लाया गया तथा निरीक्षक द्वारा सूचना क्राईम सैल छतीसगढ़ को दी गयी तथा पूछताछ करने पर उन्होंने अपना नाम क्रमशः (01) सतरूपा यादव पुत्री श्री देवी लाल यादव उम्र-17 वर्ष जाति यादव निवासी 10/12 बापूटोला, थाना-चिचौला, ब्लॉक-छुरिया, जिला राजनन्द गाँव, राज्य छतीसगढ़ (02) कीर्ती यादव पुत्री श्री आनंद राम उम्र-17 वर्ष जाति यादव निवासी 6/2 बापूटोला, थाना-चिचौला, ब्लॉक-छुरिया, जिला राजनन्द गाँव, राज्य छतीसगढ़ (03) टकेश्वरी यादव पुत्री श्री संतूराम यादव उम्र-17 वर्ष जाति यादव निवासी रानीतालाब, आबरटोला थाना- चिचौला, ब्लॉक-छुरिया, जिला राजनन्द गाँव, राज्य छतीसगढ़ (04) सारती यादव पुत्री श्री संतूराम यादव उम्र-17 वर्ष जाति यादव निवासी रानीतालाब, आबरटोला थाना-चिचौला, ब्लॉक-छुरिया, जिला राजनन्द गाँव, राज्य छतीसगढ़ (05) नाजबी पुत्री श्री मुस्ताक अली उम्र-18 वर्ष जाति मुस्लिम निवासी 50 ए बापूटोला, आबरटोला थाना-चिचौला, ब्लॉक- छुरिया, जिला</p>	

I/33365/2022

		राजनन्द गॉव, राज्य छत्तीसगढ़ बताया। बाद सभी पांचों लड़कियों को चाईल्ड लाईन ग्वालियर के साथ वन स्टॉप सेन्टर ग्वालियर को अग्रिम कार्यवाही हेतु सुपुर्द किया गया।	
4.	झांसी मण्डल	दिनांक 22.01.2022 को निरीक्षक/वीरांगना लक्ष्मीबाई स्टेशन ने नोट कराया कि आरक्षक नरपाल सिंह रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन को सील चेकिंग करते समय गाड़ी न0 11123 पर चलती गाड़ी में एक महिला यात्री द्वारा गाड़ी के स्लीपर कोच में चढ़ने की कोशिश की गयी, जिस कारण उक्त महिला यात्री गिर गई और गाड़ी के साथ घसीटने लगी तभी ड्यूटी कर रहे उक्त आरक्षक नरपाल सिंह द्वारा त्वरित कार्यवाही कर उक्त महिला की जान बचाई गयी।	
5.	झांसी मण्डल	दिनांक 26.01.2022 को निरीक्षक सीआईबी झांसी व एसएचओ जीआरपी झांसी के संयुक्त नेतृत्व में डिटेक्टिव विंग झांसी टीम, जीआरपी झांसी द्वारा ट्रेनों में यात्री सामान की चोरी करने वाले 02 अंतर्राज्यीय शातिर अपराधियों को झांसी स्टेशन पर 08 चोरी के मोबाइल फोनों के साथ गिरफ्तार किया गया। <b>अभियुक्त का विवरण</b> 01. आमिर खान पुत्र मोहम्मद खान उर्फ मोहब्बती उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम बरौदा कला थाना कैलिया जिला जालौन उ0प्र0। 02. संदीप पुत्र छोटे सिंह कुशवाहा उम्र 22 वर्ष निवासी मुहल्ला नया पटेल नगर ब्लाक के पास थाना कोच जिला जालौन उ0प्र0 <b>बरामद चोरित संपत्ति का विवरण</b> 08 अदद चोरित मोबाइल फोन (01 Samsung Galaxy, 01 Vivo V-19, 01 Vivo-Y21 01 Vivo 2040, 01 Nokia Smart Phone, 01 Realme Narzo, 01 Realme GT Master o 01 Redme Y-21) के साथ गिरफ्तार किया जिनकी अनुमानित कीमत रु. 1,45,000/- <b>कृत कार्यवाही</b> आरोपी को थाना जीआरपी झांसी में पूर्व में दर्ज निम्नलिखित अभियोगों में संबद्ध किया गया। 01. मु0अ0सं0 275/2021 धारा 379 भा.द.वि. थाना जीआरपी झांसी। 02. मु0अ0सं0 250/2021 धारा 380 भा.द.वि. थाना जीआरपी झांसी। <b>गिरफ्तार करने वाली टीम:-</b> <b>डिटेक्टिव विंग झांसी</b> 1. निरी0 एस0एन0 पाटीदार 2. स0उ0नि0 जयप्रकाश यादव 3. प्र0आ0 उमेश कुमार 4. आरक्षक दीपक कुमार 5. आरक्षक अरुण सिंह राठौर	

रिपोर्ट प्रेषित है।

(रवीन्द्र वर्मा)

प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त/रे.सु.ब.  
उ.म.रे./प्रयागराज

प्रतिलिपि-सीपीआरओ/उत्तर मध्य रेलवे/प्रयागराज को सूचनार्थ प्रेषित है।